

डाक द्वारा मतदान



यदि पंजीकृत मतदाता डाक द्वारा मतदान कर रहे हों, तो उन्हें पहचान उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होती। जो मतदाता डाक द्वारा मतदान के समय पंजीकरण करवा रहे हों, उन्हें अपने मतदान पैकेज के साथ स्वीकार्य पहचान दस्तावेजों की प्रतियां शामिल करना अनिवार्य है।

यदि मतदाता के पास स्वीकार्य पहचान दस्तावेज नहीं है, तो उनके लिए किसी से गारंटी दिलवाना अनिवार्य है। गारंटी की औपचारिक घोषणा किसी चुनाव अधिकारी, बैरिस्टर अथवा सॉलिसिटर, अथवा ऐसे व्यक्ति के समक्ष करना अनिवार्य है जो शपथ-पत्रों को लेने के लिए प्राधिकृत हो।

गारंटी देने वाले व्यक्ति द्वारा मतदाता के मतदान पैकेज में स्वीकार्य पहचान दस्तावेज की प्रतियां शामिल करना जरूरी है (देखें – गारंटी देना)।

मतदान के लिए अपना पहचान दस्तावेज तैयार रखें



ELECTIONS BC
A non-partisan Office of the Legislature

अधिक जानकारी के लिए,
इलेक्शंस बीसी से संपर्क करें

निशुल्क: 1-800-661-8683
(उत्तरी अमेरिका के भीतर)
टीटीवाई: 1-888-456-5448

डाक का पता:
PO Box 9275 Stn Prov Govt
Victoria BC V8W 9J6

निशुल्क: 250-387-5305
फैक्स: 250-387-3578
निशुल्क फ़ैक्स: 1-866-466-0665

ई-मेल: electionsbc@elections.bc.ca
वेबसाइट: www.elections.bc.ca

मतदान करने के लिए आपके पास पहचान का दस्तावेज होना जरूरी है।



ELECTIONS BC
A non-partisan Office of the Legislature

प्रांतीय मतदाता पहचान अपेक्षाएं

मतदान से पहले अथवा मतदान के साथ पंजीकरण कराने से पहले, मतदाताओं को अपनी पहचान और आवास का स्थान सिद्ध करना अनिवार्य है।

मतदाता योग्यता


- जनरल वोटिंग डे पर उम्र 18 वर्ष या अधिक हो
- कैनैडा का नागरिक हो
- पिछले छह महीनों से बी.सी. का निवासी हो

मतदाता पहचान

मतपत्र प्राप्त करने अथवा मतदान के साथ मतदान हेतु पंजीकरण करवाने के लिए अनिवार्य है कि मतदाता अपनी पहचान और आवासीय पता सिद्ध करें।


मतदाताओं को निम्नलिखित में से कोई एक उपलब्ध कराना अनिवार्य है:

- बी.सी. सरकार अथवा कैनैडा सरकार द्वारा जारी किया गया कोई एक दस्तावेज़ जिस पर मतदाता का नाम, फोटो और आवासीय पता हो, जैसे कि बी.सी. का ड्राइवर लाइसेंस, बी.सी. सर्विसेज कार्ड, बी.सी. का पहचान-पत्र (बीसीआईडी)



अथवा

- इंडियन दर्जे का प्रमाण-पत्र



अथवा

- दो दस्तावेज़ जो मतदाता के नाम से युक्त हों। कम से कम एक में मतदाता का निवासीय पता भी शामिल हो।

दस्तावेज़ों के कुछ प्रकार जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने प्राधिकृत किए हैं निम्न प्रकार हैं:

सरकार द्वारा जारी किए गए पहचान दस्तावेज़

(उदाहरण के लिए बी.सी. केअर कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, सोशल इन्शोरेंस नंबर कार्ड, पासपोर्ट, नागरिकता दस्तावेज़/प्रमाण-पत्र)

सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य दस्तावेज़


(उदाहरण के लिए संपत्ति कर निर्धारण, आयकर निर्धारण का नोटिस, सरकारी चेक)

स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेज़

(उदाहरण के लिए एडमिशन लेटर, रिपोर्ट कार्ड, ट्रांसक्रिप्ट, रेजीडेंस एक्सेप्टेन्स, ट्यूशन/फीस विवरण, स्टुडेंट कार्ड)

अन्य दस्तावेज़

- बैंक/क्रेडिट कार्ड अथवा विवरण
- आवासीय लीज/बंधक-पत्र विवरण
- बीमा विवरण
- सार्वजनिक परिवहन का पास
- आवश्यक सुविधाओं का बिल
- सदस्यता कार्ड
- अस्पताल का ब्रेसलेट/दस्तावेज़
- निवास प्रमाण-पत्र (3007)
- बी.सी. में कहां मतदान करें कार्ड (मतदाता के नाम के साथ)
- निजी चेक
- सांविधिक घोषणा



गारंटी देना

जिन मतदाताओं के पास आवश्यक पहचान नहीं है उन्हें मतदाता-सूची में शामिल करने और मतदान करवाने के लिए उनकी गारंटी दी जा सकती है।



यह जरूरी है कि गारंटी देने वाला व्यक्ति आवश्यक पहचान दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करे और वह निम्नलिखित में से एक हो:

- उसी इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो।
- मतदाता का पति/पत्नी, माता-पिता, दादा-दादी, अथवा वयस्क बच्चा, पोता-पोती अथवा भाई या बहन
- कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास गारंटी दिए जा रहे व्यक्ति के संबंध में व्यक्तिगत देखरेख संबंधी निर्णय लेने का कानूनी अधिकार हो।

मतदाता और गारंटी देने वाला व्यक्ति, दोनों में से प्रत्येक को, मतदाता की पहचान तथा आवास के स्थान के संबंध में औपचारिक घोषणा करना अनिवार्य है।

गारंटी देने वाला ऐसा व्यक्ति जो मतदाता का संबंधी न हो अथवा मतदाता की व्यक्तिगत देखरेख का अधिकार न रखता हो, केवल एक मतदाता के लिए गारंटी दे सकता है। एक संबंधी कितने भी मतदाताओं के लिए गारंटी दे सकता है जो उसके पारिवारिक सदस्य हों। व्यक्तिगत देखरेख का अधिकार रखने वाला व्यक्ति ऐसे सभी मतदाताओं के लिए गारंटी दे सकता है जिनके संबंध में उसके पास अधिकार है।

जिस मतदाता के लिए किसी ने गारंटी दी हो, वह उस चुनाव में किसी अन्य मतदाता के लिए गारंटी नहीं दे सकेगा।



ELECTIONS BC

A non-partisan Office of the Legislature